साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना
प्रधान संपादक : अभिषेक चौहान । संपादक : नवीन अग्रवाल
E-mail : bulandgondia@gmail.com | E-paper : bulandgondia.net | Office Contact No.: 7670079009 | RNI NO. MAH-HIN-2020/84319
वर्ष : 6 | अंक : 48 गोंदिया : गुरुवार, दि. 9 जुलाई से 15 जुलाई 2026 पृष्ठ : 4

20 हजार का तार चोरी

गोंदिया-ग्रामीण थाने के तहत ग्राम शिवाटोला/तांडा से दहेगांव के बीच बिजली के चार पोल पर लगे करीब 20 हजार रु. कीमत के तार को अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. सूर्याटोला निवासी फिर्यादी सुरतीलाल केशवराव गौतम (52) की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

मानसून के कारण नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व के कोर एरिया में जंगल सफारी बंद

बुलंद गोंदिया। नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व के कोर एरिया में जंगल सफारी और टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स 1 जुलाई, 2026 से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, डिप्टी कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट और फ़ील्ड डायरेक्टर पीयूषा जगताप ने बताया कि रिज़र्व के बफ़र ज़ोन में टूरिज़्म गेट और कॉम्प्लेक्स सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। इससे पहले, वन विभाग ने 15 जून से 30 सितंबर, 2026 तक कोर एरिया में टूरिज़्म गेट और कॉम्प्लेक्स बंद करने का आदेश दिया था। नतीजतन, 16 जून, 2026 से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन (वेबसाइट-आधारित) दोनों तरह की रिज़र्वेशन सुविधाओं को रोकने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें 15 जून के बजाय 30 जून, 2026 तक टूरिज़्म गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई। इसके अनुसार, कोर एरिया में टूरिज़्म 30 जून, 2026 तक चालू रहा। मानसून के मौसम में संरक्षित क्षेत्रों में नेचर टूरिज़्म से संबंधित वार्षिक दिशानिर्देशों के अनुसार, कोर एरिया में जंगल सफारी और टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स 1 जुलाई, 2026 से अगली सूचना तक बंद कर दिए गए हैं। नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व के डिप्टी कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट और फ़ील्ड डायरेक्टर पीयूषा जगताप ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे ध्यान दें कि बफ़र ज़ोन में टूरिज़्म गेट और कॉम्प्लेक्स बंद नहीं किए जाएंगे।

किसान गुमराह करने वाले दावों पर भरोसा न करें-ज़िलाधिकारी

बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कई किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाएगा। ज़िले में सभी पात्र किसानों की जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया अभी सहकारी समितियों के उप-पंजीयक के कार्यालय के माध्यम से चल रही है; सरकार ने उन सभी किसानों का कर्ज़ माफ़ करने की योजना बनाई है जो तय शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए, ज़िलाधिकारी मंदार पत्की ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी गुमराह करने वाले या धोखेपूर्ण दावे पर विश्वास न करें। ज़िले के किसानों को सरकार को सही जानकारी देनी चाहिए ताकि इस योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुँचाया जा सके। इससे ऋण माफ़ी की प्रक्रिया तेज़ होगी और किसानों पर कर्ज़ का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। नतीजतन, ज़िलाधिकारी ने ज़िले के सभी पात्र किसानों से आग्रह किया है कि वे योजना के बारे में सही जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएँ।

राजनीतिक दलों और मीडिया नागरिकों तक मतदाता सूची पुनरीक्षण की जानकारी पहुंचाये - जिलाधिकारी मंदार पत्की

बुलंद गोंदिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के लिए चलाया जा रहा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए, जिलाधिकारी मंदार पत्की ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया से अपील की है कि वे नागरिकों तक सही और उचित जानकारी पहुंचाएं। वे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को संशोधन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी पत्की ने बताया कि चूंकि शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभानी होती है, इसलिए संशोधन का काम स्कूल के समय से पहले या स्कूल खत्म होने के बाद करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस व्यवस्था से मतदाताओं से उनके घरों पर सीधे संपर्क करना आसान होगा, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने मतदाताओं को सलाह दी कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर पिछली संशोधन वाली मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांच लें और जरूरत पड़ने पर घोषणा पत्र जमा करें। मतदाता किसी भी सहायता के लिए संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। अगर मतदाता सूची में जानकारी गायब है या डेटाबेस से मेल नहीं खाती है, तो संबंधित मतदाता को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (Electoral Registration Officer) की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में, मतदाताओं के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

जन्म तिथि के आधार पर जरूरी दस्तावेज

1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे: अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देने वाला कोई भी एक दस्तावेज। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे: अपनी जन्म तिथि/जन्म स्थान के साथ-साथ माता-पिता में से किसी एक की जन्म तिथि/जन्म स्थान का प्रमाण देने वाले दस्तावेज। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे: अपनी जन्म तिथि/जन्म स्थान के साथ-साथ माता-पिता दोनों की जन्म तिथि/जन्म स्थान का प्रमाण देने वाले दस्तावेज जरूरी हैं। विशेष आवश्यकताएं: यदि माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रतियां जमा करनी होंगी। भारत के बाहर जन्म होने की स्थिति में, संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण आवश्यक है। यदि नागरिकता पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त की गई थी, तो संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

स्वीकार्य दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

सरकारी/अर्ध-सरकारी पहचान पत्र या सेवानिवृत्ति आदेश; 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी सर्टिफिकेट; जन्म प्रमाण-पत्र; पासपोर्ट; शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (मैट्रिकुलेशन आदि); स्थायी निवास प्रमाण-पत्र; वन अधिकार प्रमाण-पत्र; जाति प्रमाण-पत्र; नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ लागू हो); सरकारी रिकॉर्ड से परिवार का रजिस्टर; ज़मीन/घर आवंटन प्रमाण-पत्र। आधार से जुड़े निर्देश चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार लागू होंगे। जिन नागरिकों को कोई परेशानी हो, वे भारत के चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं ज़िलाधिकारी पत्की ने सभी संबंधित लोगों से अपील की कि वे वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए मिलकर काम करें।

पत्थर से वृद्ध पर प्रहार

गोंदिया-रावणवाड़ी थाने के तहत घिवारी निवासी सेवकलाल तिलकचंद ठाकरे (67) खाना खाकर परिसर में घुमने के लिए गया था. इसी दौरान क्षेत्र की 7-8 महिला पीने के पानी को लेकर विवाद कर रही थी. फिर्यादी ने उन्हें तुम क्यों विवाद कर रहे हो, ऐसा कहा. जिस पर आरोपी राहुल खेमेंद्र ठाकरे (22) ने तु बीच में बोलने वाला कौन होता है, ऐसा कहते हुए विवाद कर गालीगलौज की. साथ ही पत्थर से प्रहार कर उसे घायल कर दिया. फिर्यादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार सव्वालाखे कर रहे हैं.

ज़िला वार्षिक योजना के प्रस्ताव तकनीकी मंज़ूरी मिलने के बाद जमा किए जाएं
ज़िला कलेक्टर मंदार पत्की ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए

बुलंद गोंदिया। ज़िलाधिकारी मंदार पत्की ने सभी ज़िला एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित विभागों से तकनीकी मंज़ूरी लें और जल्द से जल्द प्रशासनिक मंज़ूरी के लिए प्रस्ताव जमा करें। ये प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए सामान्य ज़िला वार्षिक योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय उप-योजना और जनजातीय उप-योजना (जनजातीय क्षेत्रों के बाहर) से संबंधित हैं। वे 2026-27 के लिए ज़िला वार्षिक योजना (जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय उप-योजना और जनजातीय क्षेत्रों के बाहर जनजातीय उप-योजना श्रेणियां शामिल हैं) के संबंध में ज़िला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़ेनिथ चंद्र डोंटुला, भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रीतमसिंह कोडपे, प्रभारी ज़िला योजना अधिकारी रूपेशकुमार राउत और सभी विभागों के प्रमुख शामिल हुए।

ज़िलाधिकारी पत्की ने बताया कि 2026-27 के लिए, ज़िला वार्षिक योजना का वित्तीय आवंटन ?324 करोड़ है। इस योजना के तहत ज़िले के नागरिकों के लिए फायदेमंद कई जन-उपयोगी कार्य किए जाएंगे; उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत तकनीकी मंज़ूरी लें, प्रशासनिक मंज़ूरी के लिए प्रस्ताव जमा करें और काम शुरू करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंज़ूर किए गए कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई, और इन मंज़ूर कार्यों के लिए पूर्ण प्रस्तावों के साथ दायित्व निधि के अनुरोध जमा करने के निर्देश जारी किए गए। अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देने और इस मामले पर ज़िला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। इस साल से, ज़िला परिषद या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए कोई समय-सीमा विस्तार (द्र्ख्र्ह्रठ्ठह्व्रश्ठ्ठ) नहीं दिया जाएगा। नतीजतन, कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्य उसी वर्ष में पूरी गंभीरता के साथ पूरे किए जाएं। ज़िला कलेक्टर ने यह भी कहा कि महा स्ट्राइड ज़िला विकास योजना के तहत, विभागों से उम्मीद है कि वे गोंदिया ज़िले के सर्वांगीण और व्यापक विकास के मक़सद से 2026-27 की सालाना कार्य योजना में शामिल करने के लिए नए और अनोखे विचार पेश करेंगे, ताकि अगर ये विचार समय पर मिल जाएं तो योजना को उसी हिसाब से तैयार किया जा सके। इस बैठक का संचालन प्रभारी ज़िला योजना अधिकारी रूपेशकुमार राउत ने किया।

दिव्यांग कल्याणकारी संस्था का 17वां वर्धापन दिन व शिक्षण व प्रशिक्षण संपन्न

बुलंद गोंदिया। दिव्यांग शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था तथा दिव्यांग कल्याणकारी संस्था, गोंदिया का 17वां वर्धापन दिन समारोह 2026 पंचायत समिति सभागृह, जयस्तंभ चौक, गोंदिया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत समिति सभापति मुनेशरहांगडाले के हस्ते अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष दिगंबर बनसोडे ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में जितेंद्र देवरे, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोंदिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक संस्था के सचिव दिनेश पटले ने प्रस्तुत किया। संस्था के पिछले 17 वर्षों के कार्य का विवरण देते हुए अध्यक्ष दिगंबर बनसोडे ने कहा कि, दिव्यांगों के अधिकार, हक और शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए संस्था सदैव प्रयासरत रहेगी। जिले के किसी भी दिव्यांग बंधु पर अन्याय नहीं होने देंगे और किसी को भी योजनाओं से वंचित नहीं रहने देंगे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल पर 90 से 100 दिव्यांग बंधुओं का नि:शुल्क पंजीकरण किया गया। इस अवसर पर अरुण बंनाटे, शोभेलाल भोंगाडे, योगेश लिल्हारे, गोंदिया तालुकाध्यक्ष;हरीश गुप्ता, अध्यक्ष अर्जुन मोरगाव, तालुकाध्यक्षअशोक रामटेके, गोरेगांव तालुकाध्यक्ष; सौ. कोमल बारेवार, तिरोडा तालुकाध्यक्ष; राजू बरीयेकर, सडक अर्जुनी तालुकाध्यक्ष; सौ. तारकेसरी चव्हाण, चंद्रशेखर कुंबरे, भूमीस पटले, सहेबाज शेख, दामिनी पटले, सविता चौधरी, चीखलोंढे, खुमेश मेश्राम एवं 250 से अधिक दिव्यांग बंधु उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन संस्था के उपाध्यक्ष शोभेलाल भोंगाडे ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अथक परिश्रम किया।

गोंदिया जिले में मतदाता सुची विशेष पुनरीक्षण कार्य में गती
बीएलओ द्वारा गणना पत्रक वितरण सुरू

बुलंद गोंदिया। भारत चुनाव आयोग द्वारा 14 मई 2026 को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत गोंदिया जिले में इस कार्य को गति प्राप्त हुई है जिसमें मतदान केंद्र स्तर अधिकारी बी एल ओ के माध्यम से मतदाताओं तक गणना पत्रक का वितरण शुरू किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची को और अधिक सुधरीत करने तथा पारदर्शक रखना तथा प्रत्येक नागरिक को शामिल करने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में बी एल ओ नागरिकों के घरों तक जाकर उन्हें इसकी आवश्यक जानकारी देने के साथ ही नाम पता वह अन्य जानकारी में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिसके लिए जिले में विधानसभा मतदाता क्षेत्र के अनुसार मतदान केंद्र स्तर अधिकारी के नाम उनका मोबाइल क्रमांक व संबंधित ग्राम की सूची मीडिया के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई गई है। जिससे नागरिक को को अपने क्षेत्र के अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करना सरल होगा जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से इस पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होकर पंजीयन करवाने का आवाहन किया है, साथ ही अपनी संपूर्ण जानकारी की जांच कर आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार किया जाए।

गुरु पूर्णिमा दो दिवसीय महोत्सव 29 व 30 जुलाई को

श्री 1008 महंत बापूदास बाबा

बुलंद गोंदिया। श्री श्री1008 महंत बापूदास बाबा वह रामानंद स्वामी मंदिर समाधि स्थल कट्टीपारभोसा पांजरा पागोली नदी घाट कामठा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन 29 व 30 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया है। गौरतलब है की प्रतिवर्ष अनुसार गुरु पूर्णिमा का महोत्सव श्री श्री 1008 महंत बापू दास बाबा वह रामानंद स्वामी मंदिर समाधि स्थल में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष दो दिवसीय कार्यक्रम 29 व 30 जुलाई को आयोजित किया गया है जिसमें हवन, पूजन ,भजन, भक्ति संगीत ,प्रवचन वह महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति के पदाधिकारी व सदस्य कुंडलीक मेश्राम ,कैलाश सहारे ,रविंद्र कोटांगले ,हरिदास राऊत, योगेश राऊत ,मुरलीधर टेंभुर्णिकर ,संदीप मेश्राम ,प्रणय कामले, अभिनय कामले, योगेश मेश्राम, अनिल शेंडे, मुन्ना उके, मानिक मेश्राम, लखन मेश्राम, नर्मदा प्रसाद भीमटे के द्वारा सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का निवेदन किया गया है।

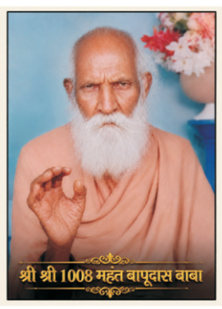

21, 22 और 23 अगस्त को 'न्यायिक समाधान समारोह' होगा आयोजित

बुलंद गोंदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 'न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी' और 'आपके द्वार पर न्याय' के विचारों को साकार करने के लिए 'समाधान समारोह' पहल शुरू की है। यह पहल 21 अप्रैल, 2026 को शुरू हुई थी और 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को होने वाली विशेष लोक अदालतों के साथ इसका समापन होगा।

इन विशेष लोक अदालतों का उद्देश्य आपसी सहमति से समाधान की प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। वकीलों, वादियों और संबंधित पक्षों से आग्रह किया जाता है कि वे इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लें और विवादों के प्रभावी समाधान में योगदान दें। वादी कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल हो सकते हैं।

इसके लिए, वादी और उनके वकील इस लिंक पर उपलब्ध ज्ञ्तश्रद्बह्वद्ग फ़ॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन फ़ॉर्म https://www.sci.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण या तालुका कानूनी सेवा समिति से संपर्क करें, जैसा कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया के सचिव ने सूचित किया है।

संपादकिय...

'निष्कलंक' का इस्तीफा क्यों?

अंततः राम मंदिर ट्रस्ट को अपने महासचिव रहे चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार करने पड़े। इस निर्णय में 'मजबूरी' झलकती रही, क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने चंपत राय को 'महापुरुष' और 'संत-साधु' करार दिया। ट्रस्ट ने चंपत को 'आरोपित' ही नहीं किया। ट्रस्ट ने बैठक में यह जरूर स्वीकार किया कि राम मंदिर के प्रबंधन में कई खामियां थीं, लिहाजा चंदा-चढ़ावे की चोरी-डकैती संभव हो सकी। कई अनियमितताएं और विसंगतियां थीं, लिहाजा 'चोर' ही दान का धन गिनते रहे और 70 बार चोरी करते रहे। यह विशेष जांच दल का शुरुआती निष्कर्ष बताया गया है। इस 'महापाप' से सभी आहत, दुखी और लज्जित हैं। राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं, भव्य राम मंदिर की छवि धूमिल, कलंकित हुई है, उसकी भरपाई सिर्फ इस्तीफों से नहीं की जा सकती। चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत समूचा ट्रस्ट परोक्ष रूप से दोषी है, आरोपित है, लिहाजा ट्रस्ट को भंग करके नई व्यवस्था तय करनी चाहिए थी। यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की थी, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि ट्रस्ट संघ परिवार की 'बपौती' है, उसकी प्रशासनिक, धार्मिक ईकाई ही बना रहेगा। वर्चस्व आरएसएस, विहिप और संघवादी संतों का ही रहेगा, लिहाजा संघ के बुनियादी प्रचारक रहे दो चेहरे बाहर करने पड़े, तो उनका विकल्प भी संघवादी कृष्ण मोहन को चुना गया। भारतीय वन सेवा अधिकारी रहे कृष्ण मोहन 2012 से ही आरएसएस में सक्रिय हैं और प्रचारक भी रहे हैं। अब उन्हें राम मंदिर का पवित्र दायित्व सौंपा गया है। अभी उन्हें 'अंतरिम महासचिव' कहा जा सकता है। ट्रस्ट ने यह विमर्श नहीं किया कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्रा को इतना निरंकुश और ताकतवर किसने और क्यों बनने दिया गया? उनकी मनमानियां कैसे चलती रहीं? करीब 114 करोड़ रुपए के भूमि-सौदे उन्हें ही क्यों करने दिए गए, जबकि इन जमीनों की कीमत 20-25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है? क्या यह बड़ा घोटाला नहीं है? ट्रस्ट 'सामूहिक जिम्मेदारी' का संगठन होता है, लिहाजा समूचा ट्रस्ट ही बदलना चाहिए था। जो साधु-संत किस्म के चेहरे ट्रस्ट में हैं, उन्हें प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय अंकुश और निगरानी का कोई अनुभव नहीं है, तो फिर करोड़ों रुपए के दान, चंदे, चढ़ावे का दायित्व उन्हें क्यों सौंपा गया? राम मंदिर आंदोलन के दौरान असंख्य लोगों ने योगदान दिया था, 'राम-राम' के उद्घोष किए थे, बलिदान भी दिए थे, उनमें से अधिकतर मंदिर की सीमा से बाहर ही हैं। वे भी आज पीड़ित, व्यथित होंगे! आंदोलन की सक्रियता ट्रस्ट में शामिल होने की गारंटी नहीं है। संविधान में तो यह प्रावधान नहीं है कि ट्रस्ट में सिर्फ संघ परिवार की ही सदस्यता होगी। 'हिंदू' तो गैर-संघी भी हो सकता है और प्रशासनिक अनुभव का धनी भी हो सकता है, लेकिन राम मंदिर पर संघ का ही 'अघोषित कब्जा' है। सवाल यह भी गंभीर है कि चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर किया जा रहा था, तो बैठक में उनका अभिनंदन क्यों गाया गया? कोषाध्यक्ष गोविंद देव ने उन्हें 'निष्कलंक' और 'निरापराधी' माना है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान और उसके बाद चंपत राय की सेवाओं, कार्यों, तप-त्याग और भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता।

भोपाल स्टेशन पर बिछड़ी महिला के लिए सहारा बनी सालेकसा पुलिस, परिजनों तक पहुंचाया

सालेकसा-जम्मू-कश्मीर से मजदूरी कर लौट रही एक छत्तीसगढ़ की महिला अपने पति से बिछड़कर सालेकसा पहुंच गई. सालेकसा पुलिस ने महिला को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचा दिया. छत्तीसगढ़ के बालोदाबाजार जिले के मंदईभाठा (सर्सिवा) गांव के रहने वाले धनाराम बुडहजात (40) और उनकी पत्नी सहोदरीबाई बुडहजात (36) काम की तलाश में जम्मू-कश्मीर गए थे. करीब चार-पांच महीने मजदूरी करने के बाद दोनों अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर पानी लेने उतरे पति ट्रेन छूट जाने के बाद वापस नहीं चढ़ सके और दोनों बिछड़ गए. पति का इंतजार करती हुई सहोदरीबाई नागपुर तक पहुंच गईं, लेकिन पति का कोई पता नहीं चला. इसके बाद उन्होंने रायपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी, फिर भी पति नहीं मिले. रास्ते में यात्रियों की सलाह पर वह सालेकसा रेलवे स्टेशन पर उतरकर सीधे पुलिस थाने पहुंचीं और पूरी घटना बताई. सालेकसा पुलिस ने महिला की बात ध्यानपूर्वक सुनी, उनका हौंसला बढ़ाया और उनके गांव में मौजूद परिजनों से संपर्क किया. परिजन अगले दिन आने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पास के वृद्धाश्रम में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था कराई. 4 जुलाई की सुबह महिला का भतीजा और अन्य परिजन सालेकसा पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहोदरीबाई को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

पति की तलाश जारी

महिला के परिजनों ने बताया कि धनाराम बुडहजात अब तक अपने गांव नहीं पहुंचे हैं. पुलिस ने उनकी तलाश शुरु कर दी है. पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल गणेश सॉजल, रामा राऊत, प्रीति कोरे तथा वृद्धाश्रम के महेंद्र रंगारी ने महिला की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सालेकसा पुलिस की संवेदनशीलता दिखाई दी.

बाल-बाल बचे परिवार, आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग बारिश से 2 कच्चे मकान ढहे

रावणवाड़ी/गोंदिया-गोंदिया तहसील में रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने मुरपार गांव के दो परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दीं. लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के दो कच्चे मकान ढह गए. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों परिवारों के सिर से छत जरूर छिन गई. जानकारी के अनुसार, मुरपार निवासी यशोदा राधेलाल दाऊदसरे तथा जियालाल भाऊलाला दाऊदसरे अपने-अपने घरों में रात के समय सोने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान बारिश से कमजोर हो चुके मिट्टी के मकान अचानक धराशाई हो गए. समय रहते सभी सदस्य बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों परिवारों को फिलहाल पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ रही है. उनके सामने रहने और दैनिक जीवन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से नुकसान का पंचनामा कर तत्काल आर्थिक सहायता, आवासीय राहत तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है. ग्रामीणों ने भी प्रशासन से शीघ्र मदद पहुंचाने की अपील की है, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिल सके.

नगर परिषद कर्मियों को रेनकोट वितरित

तिरोड़ा-बरसात के मौसम में 3 रूप सफाई, अग्निशमन तथा अन्य आवश्यक के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के लिए रेनकोट वितरण कार्यक्रम नगराध्यक्ष अशोक असाटी व मुख्याधिकारी अमोल मालकर के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ. इस दौरान नगर परिषद के नियमित कर्मचारी, कामगार, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अग्निशमन दल के जवान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रेनकोट वितरित किए गए. उल्लेखनीय है कि यह रेनकोट सीएसआर निधि तथा नगर परिषद के सहयोग से उपलब्ध कराए गए हैं. इस सहयोग के लिए नगर परिषद ने कंपनी के प्रति आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में नगराध्यक्ष अशोक असाटी, उपाध्यक्ष राजेश गुनेरिया, शिक्षण सभापति देवेंद्र तिवारी, सार्वजनिक लोकनिर्माण सभापति कादर मंसूरी, बाल कल्याण सभापति कुमुद मेश्राम तथा प्रशांत भुते समेत अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित थे.

इस अवसर पर नगराध्यक्ष अशोक असाटी ने कहा कि नगर परिषद अपने कर्मचारियों के कल्याण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि विपरीत मौसम में भी कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना नगर परिषद की प्राथमिकता है.

मानसून से पहले टैक्स विभाग की छत ढही जर्जर इमारत में कर्मियों की जान खतरे में

गोंदिया-मानसून शुरु होते ही जर्जर इमारतों के हादसे बढ़ने लगे हैं. मंगलवार को गोंदिया नगर परिषद की मुख्य इमारत में स्थित टैक्स विभाग की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया. गनीमत रही कि उस समय वहां कोई कर्मचारी या नागरिक उपस्थित नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. इस घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों और संपत्ति कर जमा कराने आने वाले नागरिकों में भय का माहौल है. गोंदिया नगर परिषद की मुख्य इमारत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है. बारिश के दौरान छत से पानी टपकना, दीवारों में दरारें आना और अब छत का स्लैब गिरना, इमारत की बदहाल स्थिति को उजागर करता है. इसके बावजूद नगर परिषद के कई महत्वपूर्ण विभाग आज भी इसी खतरनाक इमारत से संचालित हो रहे हैं. मंगलवार सुबह टैक्स विभाग का काम शुरु होने से पहले ही छत का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा. कर्मचारी प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं. वहीं, टैक्स जमा कराने आने वाले आम नागरिक भी अब इस भवन में प्रवेश करने से डर रहे हैं. कर्मचारियों ने मांग की है कि जानलेवा स्थिति को देखते हुए टैक्स विभाग को तत्काल किसी सुरक्षित इमारत में स्थानांतरित किया जाए.

अनधिकृत कक्षाएं तत्काल बंद करने के दिए बिना अनुमति स्कूल चलाने पर प्रशासन का शिकंजा

बिरसीफाटा/तिरोड़ा-तहसील में शासन की विधिवत अनुमति और मान्यता के बिना संचालित किए जा रहे एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. तिरोड़ा पंचायत समिति के गुट शिक्षाधिकारी ने चांदोरी खुर्द/बघोली स्थित पी.आर. नेशनल कॉन्वेंट के प्रधानाध्यापक को पत्र जारी कर पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की अनधिकृत रूप से संचालित कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा विभाग के अनुसार संबंधित विद्यालय शासन से आवश्यक अनुमति व मान्यता प्राप्त किए बिना कक्षाओं का संचालन कर रहा था. विभाग द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस और निर्देश जारी किए गए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने उनका पालन नहीं किया और कक्षाओं का संचालन जारी रखा. इस मुद्दे को पंचायत समिति की मासिक बैठक में भी उठाया गया था. बैठक में पूर्व उपसभापति हुपराज जमईवार ने विद्यालय की कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रशासन को कक्षाएं बंद करने के निर्देश दिए थे. जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इससे पहले 21 जुलाई 2025 तथा 18 सितंबर 2025 को भी विद्यालय प्रबंधन को अनधिकृत कक्षाएं बंद करने के लिए पत्र जारी किए थे. इसके बावजूद विद्यालय द्वारा आदेशों की अनदेखी करते हुए कक्षाओं का संचालन जारी रखा गया. लगातार आदेशों की अवहेलना के बाद गुट शिक्षाधिकारी ने 3 जुलाई 2026 से सभी अनधिकृत कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इसके बाद भी बिना अनुमति कक्षाओं का संचालन जारी रहा तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कठोर प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को अंतिम प्रतिवेदन भेजा जाएगा. शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रशासन को अनधिकृत कक्षाएं बंद कर उसकी विस्तृत करने के भी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत निर्देश दिए हैं

शाला संचालक दबंगई के साथ चला रहा था स्कूल

पी. आर. नेशनल कॉन्वेंट के प्रधानाध्यापक व संचालक की मनमानी और दबंगई के कारण विद्यालय अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है. विद्यालय के पास किसी प्रकार की वैध अनुमति नहीं है, फिर भी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. यह बात अभिभावकों को भी मालूम होने के बावजूद वे अपने बच्चों का शैक्षणिक भविष्य जोखिम में डाल रहे हैं. इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को तत्काल रोका जाए.

हुपराज जमईवार,
पूर्व उपसभापति, पंस, तिरोड़ा

गर्भवती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तत्परता

गोंदिया-सालेकसा तहसील में लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सातगांव के अंतर्गत आने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भजेपार की स्वास्थ्य टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक गर्भवती महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. स्वास्थ्य विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है. जानकारी के अनुसार, सालेकसा तहसील के भजेपार और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न होने से संपर्क टूट गया था. इसी दौरान गांव की एक गर्भवती महिला की स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सातगांव के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भजेपार की चिकित्सा टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) डा. दिनेश कटरे, स्वास्थ्य सेविका विद्या बहेकार तथा आशा सेविका विनूताई खांडवाये ने बाढ़ के बीच जोखिम उठाकर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश किया. टीम ने पूरी सावधानी के साथ गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और आगे के उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. विपरीत मौसम और बाढ़ के खतरे के बावजूद भजेपार स्वास्थ्य टीम द्वारा दिखाई गई तत्परता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है. समय पर मिली सहायता से गर्भवती महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया, वहीं पूरे सालेकसा क्षेत्र में इस टीम के कार्य की प्रशंसा की जा रही है.

जीवन बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी

बाढ़ के कारण संपर्क पूरी तरह बाधित था, लेकिन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजीत गोल्हार के मार्गदर्शन में हमारे लिए मां और शिशु का जीवन बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी. समय पर महिला तक पहुंचकर उसे सुरक्षित स्थान पर लाने का संतोष है.

- डा. दिनेश कटरे,
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी

पीड़ितों ने किया जलसमाधि आंदोलन बावनथड़ी प्रभावित किसानों की मांगें सुनने पानी में उतरे प्रशासनिक अधिकारी

गर्रा-बघेड़ा-बावनथड़ी सिंचाई परियोजना प्रभावितों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सोमवार को पुराने सुसुरडोह (बीड़ टोला) में एक दिवसीय जलसमाधि आंदोलन किया गया. अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में परियोजना प्रभावित महिला और पुरुष बावनथड़ी के पानी में उतर गए और शासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन पर डटे रहे. आंदोलन की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) गणेश दिघे तथा तहसीलदार उपेश अंबादे खुद पानी में उतरकर आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे. वरिष्ठ अधिकारियों ने पानी के भीतर ही प्रभावित ग्रामीणों की सभी समस्याओं को विस्तार से सुना. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाकर जल्द से जल्द उचित और सकारात्मक कार्रवाई कराई जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों से मिले इस ठोस आश्वासन के बाद प्रभावितों ने अपना जलसमाधि आंदोलन शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया. सुसुरडोह-सीतेकसा में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पूर्ण एवं समयबद्ध पुनर्वास किया जाए. परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई कृषि भूमि, मकानों और अन्य संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार तत्काल मुआवजा दिया जाए. प्रभावित परिवार के शिक्षित और योग्य युवाओं को इस परियोजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के तहत रोजगार में प्राथमिकता दी जाए. पुनर्वासित किए गए नए गांवों में पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, सुचारू बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं. इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष भीमराव नैताम, पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक उइके, लक्ष्मीकांत सलामे, प्रभाताई पेंदाम सहित समिति के पदाधिकारी, सदस्य और सैकड़ों की तादाद में परियोजना प्रभावित ग्रामीण उपस्थित थे. अधिकारियों के इस संवेदनशील रवैये से अब ग्रामीणों में अपनी मांगें पूरी होने की उम्मीद जगी है शांति-व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास आंदोलन के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा. मौके पर गोबरवाही थाना प्रभारी शरद शेवाले, आंधलगांव थाना प्रभारी नितिन राठौड़, सिहोरा थाना प्रभारी विजय कसोधन और तुमसर थाना प्रभारी शिवम विसापुरे सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस की सतर्कता और प्रशासनिक सूझबूझ से यह बड़ा आंदोलन बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया. इस जलसमाधि आंदोलन का नेतृत्व पुनर्वास समिति के अध्यक्ष किशोर उइके ने किया.

अतिवृष्टि में पुल व सड़क बही, यातायात ठप

गोंदिया-आमगांव तहसील में पिछले छह दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं. आमगांव-भवभूति नगर मार्ग पर स्थित पुल और सड़क तेज बारिश के कारण बह जाने से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है. इससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई गांवों का संपर्क अस्थायी रूप से टूट गया है. लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. तेज बहाव और बढ़े हुए जलस्तर के कारण पुल की नींव कमजोर होकर धंस गई, जिसके साथ सड़क का बड़ा हिस्सा भी बह गया. मार्ग पूरी तरह असुरक्षित होने के कारण प्रशासन ने मौके पर बैरिकेडिंग कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. अप्रिय घटना से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील की गई है

स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर

मोहाडी-गोंदिया से रामटेक जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना सालई खुर्द स्थित ठाकरे ढाबा के पास हुई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, रोहित विजय कागदीमेश्राम (22) अपनी बहन शुभांगी को एक्टिवा से रामटेक छोड़ने जा रहा था. जब वह सालई गांव के समीप ठाकरे ढाबा के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो के चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए उसकी दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी. रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया. स्कॉर्पियो चालक अपनी गाड़ी घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया. आंधलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार मनोज साकुरे कर रहे हैं. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है.

गोंदिया ज़िले के 26 सेवा खंडित सहायको को 8 साल नहीं मिला वेतन - राजकुमार बडोले

कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी- मंत्री शंभूराज देसाई

बुलंद गोंदिया। (विधान भवन, मुंबई)-महाराष्ट्र विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री और अर्जुनी मोरगांव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार बडोले ने गोंदिया ज़िले के 26 अटेंडेंस असिस्टेंट (जिनकी सेवा पहले बाधित हुई थी) के लंबे समय से लंबित वेतन के मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। जहाँ राज्य भर में ऐसे कई असिस्टेंट को सेवा में शामिल कर लिया गया था, वहीं गोंदिया के इन 26 लोगों को यह मौका नहीं मिला। नतीजतन, वे अदालत गए और सरकार उन्हें मज़दूर के तौर पर काम पर रखने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने 2018 में काम फिर से शुरू किया; हालाँकि, उन्हें अब तक कोई वेतन नहीं मिला है।

अटेंडेंस शीट और ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे

इन असिस्टेंट से कहा जा रहा है कि वे अटेंडेंस शीट का इस्तेमाल करके अपना वेतन प्रोसेस करवाएं। हालाँकि, चूँकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन प्रक्रिया में बदल गई है, इसलिए अभी उनका वेतन देना असंभव है। इस समस्या के समाधान के लिए बार-बार पत्र-व्यवहार करने के बावजूद, अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। राजकुमार बडोले ने सदन को बताया कि अधिकारी इस मुद्दे से बच रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन 26 लोगों का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए और उन्हें कम से कम सेमी-स्किल्ड (अर्ध-कुशल) वर्कर के बराबर मज़दूरी दी जाए।

कुशल कार्यों के लिए फंड वितरण में 60:40 अनुपात का मुद्दा

2020-2023 की अवधि के दौरान विभिन्न कुशल कार्यों के लिए फंड मंजूर किए गए थे। पहले, ज़िला और तालुका स्तर पर 60:40 का अनुपात बनाए रखा जाता था। हालाँकि, चूँकि अब यह अनुपात राज्य स्तर पर बनाए रखा जा रहा है, इसलिए कुछ ज़िलों में इसका पालन नहीं किया जा सका। राजकुमार बडोले ने यह सवाल उठाया कि फंड आवंटन पर असर को देखते हुए इन कुशल कार्यों के लिए फंड का वितरण कैसे किया जाना चाहिए।

मंत्री का आश्वासन

मंत्री ने सदन को दोनों मुद्दों के बारे में आश्वासन दिया- उन्होंने कहा कि सेवा से हटाए गए अटेंडेंस असिस्टेंट का मामला अभी कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के आदेशों की समीक्षा के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी; उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि 60:40 अनुपात के मुद्दे पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

मतदाता सूची पुनरिक्षण विशेष कार्यक्रम-2026

बुलंद गोंदिया। भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई, 2026 के एक पत्र के माध्यम से वोटर लिस्ट के लिए %विशेष मतदाता सूची पुनरिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, गोंदिया जिले सहित पूरे महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। यह पहल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संशोधन के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर, 2026 तय की गई है। यह कार्यक्रम कई चरणों में पूरा किया जाएगा। तैयारी का काम, प्रशिक्षण और छपाई का काम 20 जून से 29 जून, 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। इसके बाद, 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर वोटर की जानकारी की पुष्टि करने के लिए घर-घर जाकर जांच करेंगे। पोलिंग स्टेशनों (मतदान केंद्रों) का युक्तिकरण 29 जुलाई, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 5 अगस्त, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को 5 अगस्त से 4 सितंबर, 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलेगा। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 5 अगस्त से 3 अक्टूबर, 2026 के बीच किया जाएगा। अंतिम वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इस प्रक्रिया के दौरान, नागरिक https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से भी मदद ली जा सकती है। यदि किसी वोटर की जानकारी उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाती है, तो संबंधित वोटर को एक नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, वोटर के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। जन्म की तारीख और स्थान की पुष्टि के लिए विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता तय की गई है। 1 जुलाई, 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को अपनी पहचान साबित करने वाला दस्तावेज जमा करना होगा। 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और अपने माता-पिता दोनों से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने साथ-साथ अपने माता-पिता के भी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। स्वीकार्य दस्तावेज़ों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, भूमि आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। विदेश में जन्म होने के मामले में, संबंधित दूतावास से प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी है।

ज़िलाधिकारी मंदार पत्की ने किया आव्हान

ज़िलाधिकारी मंदार पत्की ने ज़िले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें। हर पात्र नागरिक को यह जांचना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ज़रूरी सुधार या बदलाव समय पर कर लिया जाए। यह प्रक्रिया चुनावी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सटीक बनाने में मदद करेगी। उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि वे ज़रूरी जानकारी देकर बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें। उन्होंने सभी से समय पर अपने दस्तावेज़ जमा करके इस अभियान को सफल बनाने में पहल करने का आह्वान किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है; नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सतर्क रहें और मतदाता सूची में अपने नाम सही ढंग से दर्ज कराने में सहयोग करें।

11 को कलार समाज का होगा परिचय सम्मेलन

कार्यक्रम में समाजबंधुओं से उपस्थिति की अपील

गोंदिया-समस्त कलार समाज एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में उच्च शिक्षित विवाह योग्य युवक-युवतियों का परिचय परिचय बैठक समारोह का आयोजन 11 जुलाई को दोपहर 1 से 4 बजे तक रामदेव स्मृति भवन, बम्लेश्वरी कॉलोनी कॉम्पलेक्स, फुलचूर में किया गया है. विवाह योग्य युवक-युवती के साथ ही पुन: विवाह करने इच्छुक विधुर, विधवा, तलाकसुदा, 35-40 उम्र पार, अपंग विकलांग, सफेद दाग, 10/12वीं कम पढ़े लिखे, किसान वर्ग, विशेष सादर आमंत्रित है. कार्यक्रम में रायपुर, बालाघाट, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, वर्धा, अमरावती, गड़चिरोली, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव से बहुतांश समाज बंधु पधार रहे हैं. सफलतार्थ एल.ए. खोब्रागडे, तीर्थराज उके, दिनेश फरकुंडे, नरेंद्र धुवारे, नीलिमा पशिने, सन्नी नशिने, सुनील उके, खेमराज देशमुख, सागर सोनवाने, दयाराम बन्सोड, पुरन मेश्राम, रवि रामटेक्कर, शाहू, मिलन रामटेक्कर सहित असंख्य समाज बांधव प्रयासरत है. समाजबंधुओं से उपस्थिति की अपील संचालक विजय कावडे ने की है.

युवक के साथ चला गया था कडोतीटोला का लापता किशोर तेलंगाना में मिला

गोंदिया-सालेकसा तहसील के कडोतीटोला गांव से 21 जून से लापता 13 वर्षीय बच्चा आखिरकार 5 जुलाई को पुलिस की तत्परता से सकुशल मिल गया. बच्चे का नाम प्रणय अरविंद टेंभुर्णीकर बताया गया है. पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे उसके दादा शालीकराम पांडुरंग टेंभुर्णीकर (70) के सुपुर्द कर दिया. जानकारी के अनुसार, प्रणय 21 जून को बिना किसी को बताए घर से निकल गया था. इस संबंध में सालेकसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. तलाश के दौरान प्रणय ने तेलंगाना से अपनी बहन को फोन किया. बहन ने तुरंत इसकी जानकारी सालेकसा पुलिस को दी. सालेकसा के पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी उपनिरीक्षक किशोर मावसकर ने तत्काल उस नंबर पर संपर्क किया. प्रणय ने बताया कि वह कडोतीटोला से ऑटो द्वारा साखरीटोला पहुंचा और वहां से दूसरे ऑटो से आमगांव गया. आमगांव में उसकी मुलाकात मक्काटोला के एक युवक से हुई, जो नागपुर जा रहा था. प्रणय भी उसके साथ नागपुर चला गया. बाद में दोनों तेलंगाना के एक गांव पहुंचे.

माहेश्वरी संगठन के चुनाव संपन्न

भंडारा-चुनाव अधिकारी कुंजबिहारी जाजू के मार्गदर्शन में संपन्न हुई. निर्विरोध चुने गए प्रतिनिधियों में अध्यक्ष गोकुल फाफट माहेश्वरी, सचिव लीलाधर कलंत्री, कोषाध्यक्ष डॉ. महेश मल्ल (आमगांव), अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा प्रतिनिधि रवि मूंदड़ा (गोंदिया), जिला प्रतिनिधि अशोक चांडक (मोरगांव अर्जुनी), कार्यकारणी प्रतिनिधि बालमुकुंद माहेश्वरी, राजेश पनपालिया (गोंदिया) की निर्विरोध नियुक्ति हुई. होटल पेसेफिक गोंदिया में हुई जिले की सभा में आमगांव, अर्जुनी और गोंदिया तहसील से आए 35 सदस्यों की उपस्थिति में चयन चुनाव संपन्न हुए. तीनों तहसीलों के माहेश्वरी समाज ने चुने प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं और बधाई दी

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएं: जेनिथचंद्र दोन्तुला

सीईओ ने कावराबांध पीएचसी का लिया जायजा

गोदिया-बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में वातावरण बदलने से मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बीच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनिथचंद्र दोन्तुला ने मंगलवार को सालेकसा तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कावराबांध को आकस्मिक भेंट देकर स्वास्थ्य संस्था में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं का निरीक्षण किया। भेंट के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदरूनी व बाहरी परिसर की स्वच्छता, बाह्यरोगी सेवा (ओपीडी) के समय उपलब्ध हो रही मरीज सुविधाओं आदि का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशाला में की जा रही जांचों की जानकारी, एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह व रक्तचाप रोगियों की जानकारी, क्षेत्रीय कर्मचारियों की नियमित गांववार भेंट की योजना, पर्यवेक्षकों द्वारा

उपकेंद्रों को भेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, औषधि भंडार, शासकीय निवासस्थान इ. विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुख्यालय में रहने, रोगी सुविधाएं गुणवत्तापूर्वक देने, वर्तमान में वर्षाकाल के दौरान कार्यक्षेत्र के नदी किनारे स्थित बाढ़ग्रस्त गांवों की गर्भवती माताओं को जटिलता होने से पहले ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करना, सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अच्छी प्रकार से किया जाए, कर्मचारियों द्वारा दौरा दैनिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, स्वास्थ्य संस्था के रिकॉर्ड अपडेट कर मुख्यालय में रहने के निर्देश इस समय दिए गए। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कावराबांध की वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुषमा देशमुख, स्वास्थ्य सहायक प्रदीप कटरे व राठोड, फार्मासिस्ट संजय गुप्ता, प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश पारधी, महालंब की ज्योति दमाहे, स्वास्थ्य सहायिका मनीषा मेश्राम व संगीता बागड़े, स्वास्थ्य सेविका स्वाती टापरे, स्टाफ नर्स मोहन गिरी, समुदाय आसमुदाय स्वास्थ्य अधिकारी जीना बघेले, कनिष्ठ सहायक उमेश राऊत, परिचर हेमंत भैरव व बिसेन सफाईकर्मी ज्योति शेंदरे व ज्योति शिवणकर के साथ स्वास्थ्य संस्था के अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

स्कूलों के पास हानिकारक खाने-पीने की चीज़ें और कैफीन वाले ड्रिंक्स बेचने वालों पर होंगी कार्रवाई-मंत्री नरहरी झिरवाल

बुलंद गोंदिया (मुंबई) - खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल ने विधानसभा को बताया कि स्कूलों के आस-पास छात्रों की सेहत के लिए हानिकारक खाने-पीने की चीज़ें या कैफीन वाले ड्रिंक्स बेचने वालों के खिलाफ़ मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री झिरवाल सदस्य विक्रम पा चपुते द्वारा स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने से सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। चर्चा के दौरान सदस्य राहुल कुल और वरुण सरदेसाई ने भी पूरक सवाल पूछे। मंत्री झिरवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक खाने-पीने की चीज़ें और कैफीन वाले ड्रिंक्स स्कूल परिसर या आस-पास के इलाकों में न बेचे जाएं। माता-पिता, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और ज़िला परिषदों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी बिक्री की सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दें, और संबंधित लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, राज्य में खाद्य और औषधि के नमूनों की जांच के लिए तीन प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं,संभाजीनगर, नागपुर और मुंबई में। इसके अलावा, रायगढ़, नासिक, यवतमाल और पुणे में नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 22 और प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

मंत्री झिरवाल ने कहा कि इससे खाद्य नमूनों की जांच की प्रक्रिया तेज़ होगी। मंत्री झिरवाल ने आगे बताया कि अप्रैल 2025 और मई 2026 के बीच विश्लेषण के लिए स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के 27 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 10 को मानकों के अनुरूप पाया गया। इसके अलावा, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान विश्लेषण के लिए विभिन्न एनर्जी ड्रिंक्स के 115 नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि इनमें से 63 नमूनों को प्रमाणित किया गया, एक को घटिया और छह को गलत लेबल वाला घोषित किया गया, जबकि बाकी नमूनों की जांच प्रक्रिया चल रही है।

नहर की सफाई में देरी से बढ़ी परेशानी बैक वाटर से सड़कें और बस्तियां प्रभावित, आवागमन में बाधा

सालेकसा-तहसील के मानागढ़ जलाशय की मुख्य नहर व उप-नहरों की करीब 13 वर्षों बाद शुरू हुई सफाई और गाद निकालने का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मानसून शुरू होने के बाद नहर की सफाई अधूरी रहने से बारिश का पानी नहर में सुचारू रूप से नहीं बह पा रहा है, जिसके कारण कई स्थानों पर बैक वाटर की स्थिति बन गई है. स्थिति यह है कि नहर का पानी कई जगहों पर ऊपर से बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है. वहीं कई स्थानों पर नहर से रिसने वाला पानी रिहायशी बस्तियों में जमा हो गया है. स्थानीय नागरिकों को जलभराव से राहत पाने के लिए स्वयं वाटर पंप लगाकर पानी की निकासी करनी पड़ रही है. इसके अलावा नहर से निकाली गई गाद भी कई जगह रास्तों पर ही पड़ी हुई है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मानागढ़ नहर की सफाई और गाद निकालने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार संबंधित विभाग को ज्ञापन दिए गए थे. इसके बाद शासन द्वारा कार्य के लिए निधि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन यदि सफाई अभियान समय रहते

शुरू कर दिया जाता तो मानसून के दौरान नागरिकों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. जानकारी के अनुसार, मानागढ़ जलाशय की मुख्य नहर की पिछले 13 वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण उसमें बड़ी मात्रा में गाद जमा हो गई थी. इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और जलाशय का पानी कई गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा था. प्रशासन ने नहर सफाई कार्य को 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं हो सका. वर्तमान में 16 उप-नहरों में से केवल 4 की ही सफाई पूरी हुई है, जबकि मुख्य नहर में लगभग 2 किमी तक ही गाद निकाली जा सकी है. मानागढ़ जलाशय से लगभग 1,525 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है. गाद जमा होने और वर्षों से रखरखाव नहीं होने के कारण गोर्रे, सितेपाला, हलबीटोला, मुरूमटोला, सालेकसा, आमगांव खुर्द, बोदलबोडी तथा दरबड़ा सहित कई गांवों तक पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा था. कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सिंचाई सुविधा से वंचित हो गया और वर्तमान में केवल 983 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई का लाभ मिल पा रहा है.

सड़कों पर बहा गंदा पानी, विकास कार्यों पर उठे सवाल

मूसलाधार बारिश ने खोली नप की पोल

गोंदिया-जिले में पिछले छह दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. भूमिगत सीवर लाइन परियोजना के तहत चल रही खुदाई से हालात और गंभीर हो गए हैं. ऐसे में मानसून पूर्व सफाई के नगर परिषद के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पहली ही तेज बारिश में शहर की व्यवस्थाएं चरमरा जाने से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल वाल उठने लगे हैं. प्रगति कॉलोनी और रिंग रोड क्षेत्र में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की कथित लापरवाही के कारण नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गटार लाइन बिछाने के लिए मजबूत सीमेंट-कांक्रीट सड़कों को तोड़ दिया गया था. बाद में गड्ढों को केवल मुरूम डालकर भर दिया गया, लेकिन सड़क की समुचित मरम्मत नहीं होने से बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. इसी दौरान पेयजल पाइपलाइन फुटने के बाद दोबारा खुदाई की गई. काम पूरा होने के बाद भी गड्ढों को ठीक से नहीं भरा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कीचड़, फिसलन भरी सड़कें और गहरे गड्ढों की समस्या पैदा हो गई है. इससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मार्ग पर विवेक मंदिर स्कूल और गोंदिया पब्लिक स्कूल स्थित हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों विद्यार्थी और अभिभावक आते-जाते हैं. कीचड़ और गड्ढों के कारण छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है तथा दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है.

विकसित भारत G-RAM-G' योजना के तहत टिकाऊ भौतिक संपत्तियां बनाने पर ध्यान दें- जिलाधिकारी मंदार पत्की

बुलंद गोंदिया। विकसित भारत जीरामजी योजना राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शुरू की गई, और गोंदिया जिले में भी इसे बहुत उत्साह के साथ लागू किया गया। जिलाधिकारी मंदार पत्की ने आग्रह किया कि इस योजना के तहत बनाई जाने वाली भौतिक संपत्तियां टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होनी चाहिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जीरामजी योजना का जिला-स्तरीय शुभारंभ गोंदिया तालुका की सावरी ग्राम पंचायत में हुआ। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल, जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंढारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़ेनिथ चंद्र डोंटुला, अतिरिक्त सीईओ तानाजी लोखंडे, डिप्टी सीईओ विजय लोंढे, निवासी उप जिलाधिकारी भैयासाहेब बेहरे, उप-विभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत, तहसीलदार शमशेर पठान और ब्लॉक विकास अधिकारी जितेंद्र देवरे के साथ-साथ कई जन-प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद थे।

जिलाधिकारी पत्की ने कहा कि%विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जीरामजी योजना को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की कमियों को दूर करते हुए संशोधित रूप में लागू किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को अच्छी तरह से नियोजित ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करने की सलाह दी। केंद्र और राज्य सरकारों से फंड 60:40 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा, और कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जिला परिषद स्कूलों की मैपिंग का काम अभी चल रहा है, और भविष्य की सभी परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

योजना जिले के समग्र विकास के लिए फायदेमंद - विधायक विनोद अग्रवाल

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई यह योजना रोजगार गारंटी योजना का ही एक संशोधित रूप है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई है, और मज़दूरों को समय पर काम और मज़दूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना से एक से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही सोशल ऑडिट के ज़रिए किए गए काम की क्वालिटी पर नज़र रखी जाएगी।

तालमेल के ज़रिए असरदार तरीके से लागू करने की ज़रूरत -लायकराम भेंड़ारकर

ज़िला परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंड़ारकर ने कहा कि अगर इस योजना के तहत सभी एजेंसियां ठीक से तालमेल बिठाकर काम करें, तो गोंदिया ज़िला राज्य और देश में विकास का एक मॉडल बन सकता है।

रोज़गार पैदा करने को बढ़ावा- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़ेनिथ चंद्र डोंटुला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह योजना रोज़गार पैदा करने को बढ़ावा देगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगी। भूजल स्तर को बेहतर बनाने और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के काम किए जाएंगे। अपनी शुरुआती बातों में, निवासी उप जिलाधिकारी भैयासाहेब बेहरे ने बताया कि यह योजना चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी- पानी की सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका विकास और जलवायु-अनुकूल पहल। इनमें पेड़ लगाना, कुएं बनाना, पशुओं के लिए शेड बनाना और सड़कें बनाना शामिल है। काम की जगह 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए; अगर दूरी इससे ज़्यादा होती है, तो अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस बीच, योजना की जलवायु-अनुकूल पहलों के तहत आज 500 पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। कमलेश बिसेन ने कार्यक्रम का संचालन किया।

लर्निंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल

गोंदिया-तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो गया है. लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया आसान लगने से कई उम्मीदवार फिर से आरटीओ कार्यालय का रुख कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में एंड्रॉयड मोबाइल काम करते हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क के अभाव में मोबाइल काम नहीं करते. कुछ लोगों के मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं होने जैसी कई समस्याओं के कारण लर्निंग लाइसेंस के कार्य अटक जाते हैं और परीक्षा अधूरी रह जाती है. आरटीओ ऑफिस जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता है. इसके अलावा, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है.

तायक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में गोंदिया के खिलाड़ियों की सफलता

बुलंद गोंदिया। तायक्वांडो एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई और जिला तायक्वांडो एसोसिएशन से सलग्नित डीजीएम तायक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी,गोंदिया द्वारा 5 जुलाई को उज्वल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल परिसर, गोंदिया में तायक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन किया गया था। इस टेस्ट में गोंदिया के खिलाड़ियों ने भाग लेकर सफलता प्राप्त की। खिलाड़ियों को तायक्वांडो पुमसे, बेसिक, स्टेप फाइट, क्युरोगी, जागीबांग-ओ आदि का प्रशिक्षण देकर बेल्ट टेस्ट लिया गया।बेल्ट टेस्ट में सफल हुए खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं- रेड बेल्ट फर्स्ट- वैदेही सहारे- ब्लू बेल्ट फर्स्ट- सरगम वाघाड़े, हिमांशु नाईक, अदिति ब्रह्मपुरे, राहुल खोब्रागड़े- ब्लू बेल्ट- भार्गवी पुसाम - ग्रीन बेल्ट- भावना हजारे, सावंत दहीकर, कनिका नानकानी, साची नानकानी, दिव्यांश नानकानी- येलो बेल्ट- प्रांजल बाडगे, अभिषेक राऊत, आदिरा संदेल, तायक्वांडो एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दुलीचंद मेश्राम के मुख्य मार्गदर्शन में यह बेल्ट प्रमोशन टेस्ट आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला तायक्वांडो एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य अमित मेश्राम, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निलेश फुलबांधे, प्रशिक्षक ओमेश्वर तांडेकर, आकाश पटले, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुंजन डोये आदि गणमान्यों के हाथों सफल खिलाड़ियों को प्रमोशन बेल्ट और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। बेल्ट टेस्ट में सफल होने पर जिले के कई खेल शिक्षकों, प्रशिक्षकों और नागरिकों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है।

बंगाली शरणार्थियों के लिए EWS सर्टिफिकेट की विधानसभा में राजकुमार बडोले की मांग

बुलंद गोंदिया। (मुंबई)- महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक राजकुमार बडोले ने बंगाली शरणार्थियों के लिए EWS सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान उन हिंदू बंगाली भाइयों की समस्या की ओर दिलाया जो 1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) से बड़ी संख्या में पूर्वी विदर्भ के गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में आए थे। इन शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी गई है। इनमें से ज़्यादातर OBC और अनुसूचित जाति के नागरिक हैं, और भारत में ये ओपन कैटेगरी में आते हैं। महाराष्ट्र में इन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS) का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि 13 अगस्त, 1967 के सरकारी फैसले में जो शर्त है, वह इसमें रुकावट है। इनको केंद्र सरकार EWS सर्टिफिकेट देती है। लेकिन, राज्य सरकार की तरफ से EWS सर्टिफिकेट न दिए जाने पर इन्हें नौकरी और पढ़ाई के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से प्रस्ताव मिले हैं। बडोले ने मांग की कि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की है कि इन शरणार्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाए।

वैभव कलेक्शन बैग की दुकान में लगी भीषण आग 6 घंटे तक चला दमकल अभियान जनहानि नहीं

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले प्रभु रोड स्थित बैग की दुकान वैभव कलेक्शन में सोमवार 6 जुलाई की सुबह 11.00 से 11.30 के दौरान अचानक भीषण आग लग गई जिस पर काबू पाने के लिए 6 घंटे तक दमकल विभाग के कर्मचारियों को अथक परिश्रम करना पड़ा इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया शहर के व्यस्ततम परिसर गोरेलाल चौक चौक से स्टेशन की ओर जाने वाले प्रभु रोड स्थित वैभव कलेक्शन बैग की दुकान में 6 जुलाई सोमवार की सुबह 11से 11:30 बजे के दौरान दुकान खोलने पर जब दुकान के कर्मचारी दुकान में बने बेसमेंट की ओर साफ सफाई करने गए तो वहां पर उन्हें अचानक आग लगी दिखाई दी वह धुआ बाहर आने लगा जिस पर इसकी जानकारी तत्काल दुकान संचालक जितेंद्र डोडवानी को देने पर गोंदिया अग्निशमन विभाग को फोन कर आग लगने की जानकारी दी गयी सूचना मिलने पर तत्काल दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचा किंतु दुकान में भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग, स्कूल बैग सफर बैग आदि होने से आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया था। दिन में हादसा होने पर इसकी जानकारी तत्काल मिलने पर किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई किंतु इस आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के 8 से 10 टैंकर दमकल वाहन को आग बुझाने में लगाया गया तथा 6 घंटे तक आग बुझाने की कड़ी मशक्कत अग्निशमन विभाग केअग्निशमन विभाग के प्रभारी अधिकारी नीरज काड़े, फायरमैन लोकचंद भेंडारकर ,टीकाराम गौतम, मुकेश माने, आकाश गर्ग सुनील सोनवाने, जितेंद्र उर्फ बबली गौर मनीष नागदवने वह ज़ाकिर बैग द्वारा की गई ।

बेसमेंट धुआं धुआं आग दुकान के बेसमेंट में लगी थी जहां पर जाने के लिए एकमात्र सिड़ी होने से वहीं पर आग लगी थी। जिसे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी तथा वहां पर भारी मात्रा में धुआं ही धुआ हो गया था जिसे दम घुटने जैसी स्थिति निर्माण हो गई थी किंतु अग्निशमन विभाग के अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन मास्क लगाने के साथ ही स्मोक एक्जास्टर लगाकर धुएं को बाहर निकाला फिर भी 6 घंटे तक आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सकरा मार्ग नहीं पहुंच पाई बड़ी फायर गाड़ी प्रभु रोड एक सकरा मार्ग है जिससे दमकल विभाग के भारी वाहन उसे रोड पर नहीं पहुंच पाए किंतु अग्निशमन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए गोरेलाल चौक से स्टेशन की ओर जाने वाले में रोड पर वहां लगाकर सामने की गली से पाइप ले जाकर आग बुझाने का कार्य किया गया।

टक्कर से युवक मृत

तिरोड़ा- खैरलांजी रोड़ पर स्थित रेलवे ओवर ब्रीज के पास सोमवार की रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, डा. जाकीर हुसेन वार्ड निवासी मृतक शैलेश बालचंद मुरे (30) खैरलांजी रोड़ से पैदल जा रहा था. इसी दौरान रेलवे ओवर ब्रीज के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया.

वृक्षधरा फाउंडेशन का एसआरपीएफ बटालियन कैम्प बिरसी में 1001 पौधों का वृक्षारोपण

बुलंद गोंदिया। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वृक्षधरा फाउंडेशन एवं एसआरपीएफ बटालियन ग्रुप क्रमांक-15 (IRB-2), बिरसी के संयुक्त तत्वावधान में 1001 पौधों का विशाल वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। बेहतर पूर्व नियोजन, अनुशासित व्यवस्था और सैकड़ों स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी के कारण यह अभियान जिले के सबसे प्रेरणादायी पर्यावरणीय आयोजनों में शामिल हो गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8 बजे एसआरपीएफ परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस जवानों, वृक्षधरा फाउंडेशन के पदाधिकारियों, सदस्यों, स्वयंसेवकों एवं पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति में हुआ। सर्वप्रथम वृक्षधरा फाउंडेशन की प्रार्थना के साथ प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात एसआरपीएफ टालियन की कमांडेंट श्रीमती भाग्यश्री नवतले ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। मार्गदर्शन में कमांडेंट श्रीमती भाग्यश्री नवतले ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया।

इस अवसर पर वृक्षधरा फाउंडेशन के पर्यावरण संरक्षण कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कुछ समर्पित स्वयंसेवकों को कमांडेंट श्रीमती भाग्यश्री नवतले के हस्ते प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत अधिकारियों, पुलिस जवानों, स्वयंसेवकों एवं उपस्थित नागरिकों ने एक साथ एक-एक पौधा लगाकर सामूहिक वृक्षारोपण किया। कुछ ही समय में पूरे परिसर में 1001 पौधों का रोपण पूर्ण हुआ, जिसने सामूहिक प्रयास, अनुशासन और एकजुटता की मिसाल पेश की। इस अभियान में विभिन्न प्रजातियों के कुल 1001 पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया। एसआरपीएफ के अधिकारी एवं जवानों के साथ वृक्षधरा फाउंडेशन के पदाधिकारियों, सदस्यों और स्वयंसेवकों ने पूरे समर्पण एवं टीम भावना के साथ अभियान को सफल बनाया। वृक्षधरा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पौधे को वृक्ष बनने तक उसका संरक्षण करना है। इसी उद्देश्य के साथ संस्था आगामी समय में जिलेभर में वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता, वृक्ष संरक्षण एवं हरित अभियान निरंतर चलाती रहेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले एसआरपीएफ प्रशासन, सभी अधिकारियों, जवानों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों, दानदाताओं, वृक्षमित्रों एवं पर्यावरण प्रेमियों के प्रति वृक्षधरा फाउंडेशन ने आभार व्यक्त किया। वृक्षधरा फाउंडेशन एवं एसआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से आयोजित यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक एकता, जनसहभागिता और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी उदाहरणबना ।

18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी

बुलंद गोंदिया। नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (नई दिल्ली) के निर्देशों के अनुसार, 18 जुलाई और 21 नवंबर, 2026 को %विशेष लोक अदालतें% आयोजित की गई हैं। ये अदालतें महाराष्ट्र हाई कोर्ट (इसकी सभी बेंचों सहित) और सभी ज़िला व तालुका अदालतों में आयोजित की जाएंगी, ताकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों और मुकदमे से पहले के विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। जो पक्ष विशेष लोक अदालत के ज़रिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों को सुलझाना चाहते हैं, उन्हें उस संबंधित अदालत में आवेदन देना चाहिए जहाँ उनका मामला अभी लंबित है। इसी तरह, मुकदमे से पहले के मामलों के लिए, विशेष लोक अदालत के ज़रिए आपसी समझौता करने के लिए निकटतम ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या तालुका कानूनी सेवा समिति को आवेदन दिया जाना चाहिए। गोंदिया ज़िले के लिए, 8591903935 नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी गोंदिया के ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी।

बहुजन समुदाय के नागरिकों के लिए विभिन्न पुरस्कारों की समय-सीमा बढ़ाई गई

बुलंद गोंदिया। महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समानता-शिव पुरस्कार(बहुजन समुदाय में समानता के समर्थक महात्मा बसवेश्वर के नाम पर), साथ ही नटराज पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार और %क्रांतिकारी राजे उमाजी नाइक पुरस्कार% शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए इन पुरस्कारों हेतु पात्र प्रस्ताव (व्यक्तियों या संगठनों से) जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने जिले के बहुजन समुदाय के पात्र नागरिकों से अपने प्रस्ताव जमा करने की अपील की है। नियम और शर्तें- आवेदक (व्यक्ति या संगठन) महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए। आवेदक ने संबंधित समुदाय के उत्थान के लिए शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या अन्य क्षेत्रों में निरंतर और उल्लेखनीय कार्य किया हो। आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किए जाने चाहिए; सरकारी आदेश में बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज, किए गए कार्य की विस्तृत रिपोर्ट, सिफारिश पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अधूरे, गलत जानकारी वाले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कारों के संबंध में अंतिम निर्णय सरकारी स्तर पर लिया जाएगा और इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिला कलेक्टर कार्यालय के पीछे, पतंगा मैदान, गोंदिया से संपर्क करें। यह जानकारी अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग की सहायक निदेशक सविता कीर्तिकर द्वारा दी गई।

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।